न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(खण्डपीठ)

1–पुनर्स्थापन प्रा0प0संख्या– 95 / 2005–06 अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0

2–पुनर्स्थापन प्रा0प0संख्या– 96 / 2005–06 अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0

1– मधुर शर्मा पत्नी स्व0 बालकृष्ण शर्मा (मृतक), 2. अभिषेक शर्मा, 3. आशुतोष शर्मा पुत्रगण स्व0 बालकृष्ण शर्मा, निवासी–157 रायपुर, देहरादून।

बनाम

1. उत्तरांचल सरकार, 2. भूमि प्रबन्धन समिति रायपुर, 3. वीरकृष्ण शर्मा पुत्र स्व0 जयप्रकाश शर्मा, 4. कुमार आंचल शर्मा पुत्री वीरकृष्ण शर्मा, 5. पायल शर्मा पत्नी डा0 हरीश राव पुत्री वीरकृष्ण शर्मा, 6. कुमारी काजल शर्मा दत्तक पुत्री श्रीमती विद्यावती, सभी निवासीगण–4 कान्वेट रोड, देहरादून।

उपस्थित : श्री एम0 रामास्वामी,अध्यक्ष।

: श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)

अधिवक्ता प्रार्थीगण / उत्तरदातागण : श्री सी0एम0 इस्सर।

अधिवक्ता विपक्षीगण / निगरानीकर्तागण : श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

ये पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–89 एवं 90 वर्ष 2005–06 वीरकृष्ण शर्मा बनाम अभिषेक शर्मा में पारित आदेश दिनांक 07–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण में विपक्षी संख्या–3 से 6 / निगरानीकर्तागण के पक्ष में सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 30–11–1998 में किया गया। आदेश दिनांक 30–11–1998 के विरूद्ध प्रार्थीगण / उत्तरदातागण द्वारा लगभग 7 वर्ष 5 माह पश्चात अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अभिलेख अधिकारी ने निगरानीकर्तागणों को सुने बिना एवं कालबाधित के बिन्दु को निस्तारण किये बिना आदेश दिनांक 05–04–2006 से सुनवाई हेतु ग्रहण कर ली। आदेश दिनांक 05–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानियों को तत्कालीन अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ने ***ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार कर आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण अवर*** न्यायालय को इस आशय से प्रति प्रेषित किया कि " अवर न्यायलय में प्रस्तुत अपीलों में सर्वप्रथम पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवर प्रदान करते हुए कालबाधित अथवा विलम्ब के

शमन के बिन्दु का विधिवत निस्तारण किया जाए तदोपरान्त उक्त अपीलों में विधि अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाए'' इसी प्रति प्रेषण आदेश दिनांक 07–07–2006 के विरूद्ध वर्तमान पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

दिनांक 07–03–2014 को पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त एवं उनके अनुरोध पर प्रकरण खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई हेतु संदर्भित किया गया। चूंकि दोंनो प्रकरणों की विषयवस्तु एवं पक्षकार समान है अतः दोंनो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी तथा प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया।

पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 04–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानियां योजित नही की जा सकती थी क्योंकि निगरानीकर्ता ने आदेश दिनांक 04–05–2006 के विरूद्ध एक निगरानी संख्या–16 वर्ष 2006–07 अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के न्यायालय में योजित की थी, कि इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानियां उक्त तथ्य को छुपाकर प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानियां एवं लिखित बहस तथा वाद में इन निगरानियों को वापस लेने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति भी उनके द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत की गई है, कि आदेश दिनांक 07–07–2006 पारित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नही दिया गया है तथा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कतिपय न्यायिक व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। दूसरी ओर निगरानीकर्ता/पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील कालबाधित थी जिसमें धारा–5 मर्यादा अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया, कि विलम्ब के बिन्दु को नजरअन्दाज कर निगरानी में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, कि भू0रा0अधि0 1901 की धारा 201 के उपबन्धों के अधीन एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे न्यायालय में यह साबित करना आवश्यक है कि ऐसे एकपक्षीय आदेश से न्याय का हनन हुआ है यदि एकपक्षीय आदेश से अन्याय नही हुआ है तो उसे तकनीकी त्रुटियों के आधार पर अपास्त नही किया जा सकता है एवं कि इस क्रम में 10 वर्ष की अवधि बीत गई है एवं नामान्तरण प्रकरण तद्नुसार विलम्बित होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने इस न्यायालय की कतिपय न्यायिक व्यवस्थाओं को भी उद्धरित किया है।

निःसंदेह मा0 ~~सदस्य~~ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–89 व 90 वर्ष 2005–06 को ग्रहण करने के स्तर पर ही स्वीकार कर विद्वान अभिलेख अधिकारी/कलेक्टर, देहरादून को धारा–5 मर्यादा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र को पहले ***विधिवत निस्तारित कर ही लम्बित अपीलों में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।*** ऐसा उनके द्वारा सम्भवतः इसलिए किया गया है कि उनके द्वारा यह पाया गया कि विद्वान

अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने बिना विलम्ब मर्षण के प्रार्थना पत्र निस्तारित किये लम्बित अपीलें ग्रहण की है। उनका यह निष्कर्ष निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों से संतुष्ट होकर किया जाना प्रतीत होता है। इसी के दृष्टिगत निगरानियों में उत्तरदातागणों को नोटिस नही भेजा गया है एवं अवर न्यायालय की पत्रावलियां अभियाचित नही की गई है। निगरानी एवं अपीलीय न्यायालयों में ग्रहण करने के स्तर पर ही अति स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष आधारों से संतुष्ट होने पर कतिपय प्रकरणों में, ही यथास्थिति, निगरानी अथवा अपील स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का चलन है। पुनर्स्थापन प्रार्थियों का यह कथन नही है कि उनके द्वारा विद्वान अभिलेख अधिकारी/कलेक्टर, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की गई थी अथवा उनके द्वारा विलम्ब मर्षण हेतु प्रार्थना पत्र नही प्रस्तुत किया गया था। तद्नुसार अपीलों को ग्रहण करने सम्बन्धी प्रत्यक्ष त्रुटि के दृष्टिगत आलोच्य आदेश पारित किया जाना विदित होता है।

वर्तमान में प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थियों ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में न केवल एकपक्षीय आदेश को वापस लेकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की गई है अपितु कतिपय पक्षकारों के अवयस्क होने के दृष्टिगत उनके संरक्षक नियुक्त करने एवं आलोच्य निगरानियों के कथित रूप द्वितीय निगरानी होने के दृष्टिगत उनके ग्रहण एवं पोषणीय न होने के अभिवाक भी प्रस्तुत किये गये हैं।

सर्वप्रथम पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के समय से प्रस्तुत अथवा कालबाधित होने का बिन्दु देखा जाना है। मा0 सदस्य द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2006 पारित किया गया है एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 25–08–2006 को प्रस्तुत किया गया है। पुनर्स्थापन प्रार्थियों द्वारा यह कथन किया गया है कि उनको आलोच्य आदेश के एकपक्षीय होने के दृष्टिगत उसकी जानकारी दिनांक 02–08–2006 को हो पायी। तत्पश्चात उनके द्वारा प्रतिलिपियां प्राप्त कर दिनांक 25–08–2006 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई खण्डन नही हुआ है। आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2006 एकपक्षीय होने के दृष्टिगत पुनर्स्थापन प्रार्थियों को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 02–08–2006 को होने सम्बन्धी कथन विश्वसनीय है जो शपथ पत्र द्वारा भी समर्थित है। जानकारी की तिथि के दृष्टिगत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र कालबाधित नही है। अतिरिक्त इसके, अत्यधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें कालबाधित माने जाने की स्थिति में भी विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र वर्णित स्थितियों में स्वीकारणीय है। तद्नुसार पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र कालावधि के दृष्टि से ग्राह्य है।

आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2006 निसंदेह एकपक्षीय था। पुनर्स्थापन प्रार्थियों को उनके अनुरोध पर आलोच्य निगरानियों में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के पालन में अनिवार्य है। अतः हम पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07–07–2006 को वापस लेकर निगरानियां पुनर्स्थापित किया जाना न्यायसंगत समझते है ताकि पुनर्स्थापन प्रार्थियों/उत्तरदातागण का पक्ष भी प्रस्तुत हो

सके। उक्त के दृष्टिगत निगरानियों के गुणावगुण सम्बन्धी तर्कों एवं उद्धरित न्यायिक व्यवस्थाओं पर हम कोई मंतव्य व्यक्त करना उचित नही समझते है।

आदेश

पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संगत निगरानियां पुनर्स्थापित की जाती है। पक्षकार सुनवाई हेतु मा0 सदस्य न्यायिक के न्यायालय में दिनांक 06–02–2017 को उपस्थित हों। अवर न्यायालय की पत्रावलियां अभियाचित की जाय।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 9/01/2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।